

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 575/14-1 शाहजहांपुर, दिनांक, 11-08/2021

सेवा में,

प्रबंधक परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम,
कार्पो लि0, शरही गैस वितरण परियोजना,
यू0पी0 एण्ड यू0के0 क्लस्टर, प्रथम एवं द्वितीय तः
महालक्ष्मी टावर्स-112, सिविल लाइन बरेली। (243001)

विषय :- जनपद शाहजहांपुर में बरेली पक्का पुल चैनैज 0.00 से 400 तक बरेली मोड़-पिपरोल-अहमदपुर एस0एच0-29 चैनैज 469.00 से 475.00 तथा पक्का पुल से मेजबान हाटल चैनैज 328.130 से 330.130 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाइप डाले जाने में प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं0- एफ पी/ यू0पी0/ पाइप लाइन/ 115789/ 2020)

सन्दर्भ :- सचिव उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जल विभाग परित्वन अनुभाग-2 के पत्रांक पी0-85/81-2-2021-800 (98)/ 2021 दिनांक 04-08-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/न० डल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के कम में विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की निम्न शर्तों पर चाही गयी अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करायें।

क्रमसं०	शर्त सं०	अनुपालन आख्या
1	संरक्षित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित गैस पाइप लाइन डाले जाने में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/ मार्गों/ सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारें ही बिछाये जायेंगे।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/ मार्गों/ सड़कों/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारें ही बिछाये जायेंगे।
3	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति में होने वाला व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्ण अनुमति ली जायेगी।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्ण अनुमति ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2021/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Funds Management कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 0.66 है0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 8.28 (छ: लाख छब्बीस हजार) प्रति है0 की दर से रू0 413,180=00 (चार लाख तेरह हजार एक सौ साठ) को ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी। जमा की गयी धनराशि के चालान की सत्यापित प्रति 05 प्रतियों में उपलब्ध करायेंगे।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामित्व विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उनके पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र सं0-111013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है। (यदि लागू हो)
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/पारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	कार्यदायी संस्था वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।
14	प्रयावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp), फाइल में दर्शाया गया।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp), फाइल में दर्शाया गया हो।
15	यदि प्रशनगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित वन भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है, यदि है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किय जायेगा।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किय जायेगा।
17	परियोजना में 4, 6, 8, 10 इंच डाय गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएवं प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किय जायेगा।	शर्त सं0-9 के अनुसार धनराशि जामा किया जाना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि के चालान की सत्यापित प्रति 05 प्रतियों में उपलब्ध करायेंगे।
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, जो इस प्रकार है:- 1:- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनिया जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथ उसका क्षेत्र केवल एक शहर न हो कर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि 1:- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनिया जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथ उसका क्षेत्र केवल एक शहर न हो कर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

	2:- ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती है अर्थात जिसका द्वारा एक शहर होता है उस कम्पनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वणित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनाराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	कम सं०-2 के आलोक में दुगने अवनत वन भूमि/समतुल्य गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शहरी वृक्षारोपण किया जायेगा। (उक्त में से जो लागू हो)
19	प्रशनगत प्रस्ताव में वृक्ष पातन निहित नहीं है। अत एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुये समय समय पर मानटरिंग सुनिश्चित किया जायेगा।	वन विभाग से सम्बंधित।
20	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	कार्यदायी संस्था इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उनके द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय

Akin

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।
पत्रांक 1036 /5-1 बदायूँ दिनांक 23/अक्टूबर/2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
शहरी गैस वितरण परियोजना,
यू०पी० एण्ड उत्तराखण्ड कलस्टर
112 सिविल लाइन बरेली ।

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर में बरेली पक्का पुल चैनेज 0.00 से 4.00 तक बरेली मोड- पिपरौल अहमदपुर एस०एच०-29 चैनेज 469.00 से 475.00 तथा पक्का पुल से मेजवान होटल चैनेज 328.130 से 330.130 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा भूमिगत गैस पाइप डाले जाने में प्रभावित 0.66 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०पी०/पाइप लाइन/115789/2020)

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन के पत्र सं० पी०-85/85/81-2-2021-800(98)/2021 दिनांक 4.8.2021 एवं प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्रभाग शाहजहाँपुर का पत्रांक 1482/14-1 दिनांक 22.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के आपको अवगत कराना है कि प्रभागीय निदेशक, शाहजहाँपुर के उपरोक्त विषयक पत्र में दिये गये निर्देशानुसार इस वन प्रभाग की सहस्रवान रेंज के अन्तर्गत मेरठ बदायूँ मार्ग पर 20 रो कि०मी० (24 है०) भूमि उपलब्ध है इसमें तारबाड सहित 03 लाइन में वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकता है । उक्त वृक्षारोपण पर प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण तृतीय वर्ष प्रथम अनुरक्षण एवं चतुर्थ वर्ष द्वितीय अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा जिस पर मु० 595800/- एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त रू० प्रति है० की दर से कुल धनराशि मु० 157.30 लाख (मु० करोड सत्तावन लाख तीस हजार मात्र) मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक जी०-254/15-1 (सीलिंग दर) दिनांक 12 फरवरी 2021 में दिये गये प्राविधान के अनुसार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने का कष्ट करें ।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ

पत्रांक _____ / उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI 400 020

Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L2320 1MH1952GO1008858

शहरी गैस वितरण परियोजना, यू.पी. एण्ड यू.के. क्लस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल, महालक्ष्मी टावर्स, 112 सिविल लाइन्स, बरेली-243001 फ़ोन: 0581-2422020, 2970180, मो.: 7409900090
City Gas Distribution, UP & UK Cluster 1st & 2nd Floor, Mahalaxmi Towers, 112 Civil Lines, Bareilly-243001, Tel.: 0581-2422020, 2970180, Mob.: 7409900090

UNDERTAKING

Date: 09/11/2021

REF:SB/FOR/01

Subject: Permission to lay the pipeline of length 12 KM in Shahjahanpur district along SH-29.

Dear Sir,

Further to the 10th round of bidding for the CGD network, PNGRB has authorized HPCL to Lay, Build and Operate the CGD network in the geographical area of Shahjahanpur and Badaun districts (GA 10.45) in the state of Uttarakhand & Uttar Pradesh vide letter reference no. PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.45/Schedule-D dated 29.03.2019. The entire geographical area is spread into 9556 square Kilometres where HPCL has committed to installing 75 CNG stations, 125000 PNG connections through a widespread steel pipeline network of over 10 years starting from 01.04.2019.

we have received demand note memo no. 575/14-1 dated: 11/08/2021 from the forest department, Shahjahanpur for laying of natural gas pipeline of length 6 km from Bareilly mode-Piprola- Ahmadpur NH-29 Chainage 469.00-475.00 and 2 km from Pakka Pul to Mezaban Hotel Chainage 328.130-330.130 & Bareilly Pakkapul Chainage 0.00 to 4.00 Dist.- Shahjahanpur under Shahjahanpur & Badaun GA. As per the demand note, Payment of Rs. 4,13,160/- needs to be submitted to the forest department along with the compliance to point no. 18, which provides for one time 20 KM afforestation anywhere in the state of Uttar Pradesh. We have also received the demand note reference no. 1036/5-1 Badaun, dated 23/10/21 from the forest department, Badaun against the 20KM afforestation for complying point no. 18 sub clause 1. We hereby declare that the payment of 20KM afforestation against the demand note reference no. 1036/5-1 Badaun, dated 23/10/21 received by the forest department, Badaun will be completed very soon. Under the circumstance, we seek your approval to start the steel pipeline laying works with immediate effect as our manpower and resources are idling.

This undertaking is given as a confirmation of what has been stated above and for compliance.

Thanking you,

Yours Sincerely

Dharampal Gupta
GM-CGD Projects
UP/UK Cluster

धर्मपाल गुप्ता
DHARAM PAL GUPTA
महाप्रबंधक-परियोजना
General Manager-Projects